REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122021-231700 CG-DL-E-08122021-231700

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4690]

No. 4690]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2021/अग्रहायण 17, 1943

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2021/AGRAHAYANA 17, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5064(अ).—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 42 की उप-धारा (1) और धारा 67 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्द्वारा असम राइफल्स के उपनिरिक्षक एवं उनसे ऊपर वाले पदों के अधिकारियों को यह शक्ति प्रदान करती है की वह अपने क्षेत्राधिकार के भीतर, धारा 42 के अंतर्गत दी गई शक्तिओ का प्रयोग कर सकते है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते है साथ ही साथ उक्त अधिकारियों को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है की वह धारा 67 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग कर सके ।

[फा. सं. एन-11011/03/2021-एनसी-II]

दिनेश बौद्ध, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2021

S.O. 5064(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42 and section 67 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby empowers the officers of the Assam Rifles, of the rank of Sub-Inspector and above, to exercise the powers and perform the duties specified under section 42 within the areas of their respective jurisdiction and also authorise the said officers to exercise the powers conferred upon them under section 67 of the said Act.

[F. No. N-11011/03/2021-NC-II]

DINESH BOUDDH, Director